सशक्त समाज व उज्जवल भविष्य की आधारशिला है शिक्षा : जांगिड़

स्कूल चले अभियान के तहत प्रवेशोत्सव कार्यक्रम संपन्न

नवभारत न्यूज

मुरैना, 1 अप्रैल। नवीन शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्र. 1 मुरैना में जिला स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम बुधवार को आयोजित हुआ। जिसमें चंबल आयुक्त सुरेश कुमार, कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़, महापौर शारदा सोलंकी, जिपं अध्यक्ष आरती गुर्जर, विधायक दिनेश गुर्जर विशेष रूप से उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान नवप्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उन्हें नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें एवं साइकिलें वितरित की गईं। कार्यक्रम में कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त समाज एवं उज्ज्वल भविष्य के निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पालकों से भी सतत संपर्क किया जाएगा, जिसमें पालकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कलेक्टर ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि 1 से 4 अप्रैल तक चार दिवसीय प्रवेशोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस अवधि में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक, एलुमनी सम्मान एवं भविष्य से भेंट जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

विद्यार्थियों का हुआ स्वागत, बांटी किताबें, साईकिल

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों का तिलक लगाकर एवं पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया तथा उन्हें नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें एवं बैग वितरित किए गए। साथ ही कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों को नि:शुल्क साइकिलें प्रदान की गईं। इस अवसर पर जिपं उपाध्यक्ष बनवारीलाल धाकड़, जिपं सीईओ कमलेश कुमार भार्गव, राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र भोपाल की ओआईसी श्रीमती सुमन डंगस, जिला शिक्षाधिकारी बीएस इंदौलिया सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

खड़ियाहार में खुलेगी पुलिस चौकी व राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा

केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने मुख्यमंत्री, केन्द्रीय वित्त मंत्री को लिखे पत्र

नवभारत न्यूज

मुरैना, 1 अप्रैल। दिमनी विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत खड़ियाहार में रहने वाली 12 हजार से अधिक आबादी को जल्द ही राष्ट्रीयकृत बैंक में लेनदेन करने की सुविधा का लाभ मिलेगा। तो वहीं सुरक्षा को लेकर भी खड़ियाहार के नागरिकों को अब चिंतित नहीं होना पड़ेगा। जिसकी वजह आगामी समय में खड़ियाहार में पुलिस चौकी स्थापित होना रहेगा। दरअसल भाजपा जिला कार्यसमिति सदस्य सतेन्द्र सिंह तोमर श्यामू भैया ने बीते दिनों केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा था। सतेन्द्र तोमर के इस पत्र को संज्ञान में लेते हुए केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर खड़ियाहार में पुलिस चौकी स्थापित किए जाने का अनुरोध किया है। तो वहीं राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खुलवाने के लिए सिंधिया ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र भेजकर शीघ्र मांग को पूरा करने का अनुरोध किया है।

एक नजर में

वरिष्ठ पत्रकार विजय गुप्ता का आकस्मिक निधन

मुरैना/अंबाह, 1 अप्रैल। जौरा मुख्यालय पर प्रतिष्ठित समाचार पत्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार विजय गुप्ता (45) का 01 अप्रैल को आकस्मिक निधन हो गया। वे विगत कुछ दिनों से अस्वस्थ होकर उपचारलाभ ले रहे थे। बुधवार को ग्वालियर के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गए है। परिवार में पत्नी, 12 साल की पुत्री है। स्व. विजय गुप्ता कस्बा जौरा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओमप्रकाश सकलेचा के ज्येष्ठ पुत्र और युवा पत्रकार सौरभ गुप्ता के भाई थे। विजय बीते दो दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे थे। उनका अंतिम संस्कार जौरा कस्बे के मुक्तिधाम में हुआ। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और पत्रकारगण उपस्थित थे।

दूध डेयरी व ढाबा से 3 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

मुरैना/जौरा, 1 अप्रैल। गैस की किल्लत पर अंकुश लगाने के लिए इन दिनों खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा छापामार कार्रवाई की जा रहीं है। मंगलवार को एसडीएम जौरा शुभम शर्मा के निर्देशन में नायब तहसीलदार राजभान सिंह कुशवाह, सहायक आपूर्ति अधिकारी बृजपाल सिंह गुर्जर, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी लोकेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में दो स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई। पहली कार्रवाई मोनू ठाकुर ढाबा पर की गई। कार्रवाई के दौरान ढाबे से एक घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया। एक अन्य कार्रवाई जनपद कार्यालय के पास संचालित दूध डेयरी पर की गई। यहां व्यवसायिक उपयोग करते हुए मिले 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। सिलेंडरों को जब्त कर प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए है।

पत्थर का परिवहन कर रहे ट्रेक्टर-ट्रॉली जब्त, ड्राईवर गिरफ्तार

मुरैना, 1 अप्रैल। नूराबाद पुलिस ने 31 मार्च को पत्थर का अवैध रूप से परिवहन कर रहे एक ट्रेक्टर-ट्रॉली को पकड़ा। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। जानकारी के अनुसार नूराबाद थाना प्रभारी एसआई सौरभ पुरी ने मुखबिर से सूचना मिलने के बाद ग्राम खरगपुर के पास चैक पाइंट लगाकर वाहनों की चैकिंग शुरू की। इसी दौरान पत्थर का परिवहन करते हुए एक ट्रेक्टर-ट्रॉली को पकड़ा गया। ट्रेक्टर का ड्राइवर मनीष पुत्र नत्थू बाथम निवासी बानमोर मौके पर खनिज की रॉयल्टी संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने पत्थरों से भरे ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त कर ड्राइवर के विरुद्ध खान एवं खनिज अधिनियम की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।

शिक्षा से ही समाज और राष्ट्र का विकास संभव : परिहार

मुरैना, 1 अप्रैल। बुधवार 1 अप्रैल को नवीन शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ अवसर पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय सिहौरी में प्रवेशोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया। कार्यक्रम में शाला प्रभारी श्रीमती अंजू राठौड़ विशेष रूप से उपस्थित रहीं। मुख्य अतिथि सरपंच श्रीमती गुड्डी देवी ने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय पहुंचनें और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। जनशिक्षक पवन सिंह परिहार ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शिक्षा से ही समाज और राष्ट्र का विकास संभव है। अंत में आभार प्रदर्शन गजेन्द्र सिंह सिकरवार ने किया।कार्यक्रम में धर्मेन्द्र शर्मा, प्रेमचंद्र गौड़, कमलकिशोर कुशवाह, कमलादेवी, मुन्नीदेवी आदि उपस्थित रहे।

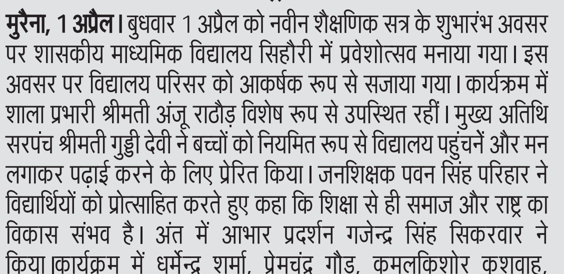

कुल्हौली हासे स्कूल में मनाया गया प्रवेशोत्सव

मुरैना/कैलारस, 1 अप्रैल। हायर सेकेंडरी स्कूल कुल्हौली में बुधवार को नवीन सत्र 2026-27 के शुभारंभ अवसर पर प्रवेश उत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य योगेश शर्मा एवं समस्त स्टाफद्वारा नव प्रवेशित विद्यार्थियों का तिलक लगाकर एवं माल्यार्पण कर आत्मीय स्वागत किया गया। साथ ही विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी किया गया, प्राचार्य योगेश शर्मा ने विद्यालय में उपलब्ध स्मार्ट क्लास, सुसज्जित प्रयोगशाला एवं विभिन्न विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा अपनाने के लिए प्रेरित किया।

पति की हत्या करने वाली पत्नी और प्रेमी को आजीवन कैद

नवम अपर सत्र न्यायाधीश का फैसला, 6-6 हजार रूपये जुर्माना

नवभारत न्यूज

मुरैना, 1 अप्रैल। पति की हत्या कर शव को जमीन में गाढ़ने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को नवम अपर सत्र न्यायाधीश मुरैना दिनेश सिंह राणा ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 6-6 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी प्रभारी उप संचालक अभियोजन रोशनलाल छापरिया के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक संजीव पांडे ने की।

मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने बताया कि फरियादी तुलाराम जाटव ने पुलिस थाना स्टेशन रोड पर अपने पुत्र लल्लू उर्फ रामहेत की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। तुलाराम ने अपनी पुत्रवधु रीना जाटव 28 पत्नी रामहेत जाटव और पड़ौस में रहने वाले सूरज जाटव 23 पुत्र उत्तम सिंह जाटव पर संदेह जाहिर किया था। विवेचना के दौरान गुमशुदा रामहेत के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाने पर पता चला कि उसका उपयोग सूरज और रीना द्वारा किया गया था। तब पुलिस ने सूरज जाटव और रीना जाटव के विरुद्ध अपराध दर्ज किया। पूछताछ के दौरान रीना एवं सूरज ने रामहेत जाटव की हत्या कर उसके शव को सरसों के खेत में गाढ़े जाने की बात कबूली। रीना-सूरज की निशानदेही पर पुलिस ने सरसों के खेत से रामहेत का शव बरामद किया।

प्रकरण में विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य तथा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये सूरज जाटव व रीना जाटव दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 6-6 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया।

जल ही जीवन के लिए गांवों में जागरूकता अभियान

नवभारत न्यूज

पोरसा, 01अप्रैल। पोरसा क्षेत्र के बरबाई सेक्टर में जल संरक्षण को लेकर एक प्रेरणादायक पहल देखने को मिली। 'जल ही जीवन है' के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मुरारी लाल उपाध्याय शिक्षा प्रसार समिति द्वारा एक भव्य कार्यशाला एवं 'जल गंगा संवर्धन अभियान' तथा 'जल प्याऊ कार्यक्रम' का आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वावधान में नवांकुर संस्था के सहयोग से आयोजित हुआ, जिसमें जिला समन्वयक श्री सतीश सिंह तोमर एवं ब्लॉक समन्वयक श्री राधा शरण पुरोहित के निर्देशन में ए सेक्टर बरबाई के अंतर्गत 10 गांवों में विभिन्न गतिविधियां संचालित की गईं। कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि पूजन, कन्या पूजन, प्रभात फेरी, कलश यात्रा, मानस पाठ, भजन संध्या, वृक्ष पूजन, जल स्त्रोत पूजन, दीपमाला, देवी गीत, संकीर्तन, आरती एवं जल मंदिर (प्याऊ) स्थापना जैसे कई धार्मिक व सामाजिक आयोजन किए गए।

इस अभियान के माध्यम से ग्रामीणों को जल और प्रकृति के संरक्षण का महत्व समझाया गया। उन्हें बताया गया कि यदि समय रहते जल स्त्रोतों की सुरक्षा और संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। संस्था प्रमुख प्रदीप उपाध्याय ने बताया कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण और छायादार पेड़ों का रोपण वर्षा को बढ़ावा देता है, जिससे जल संग्रहण संभव होता है। उन्होंने लोगों से अपने-अपने क्षेत्रों में जल संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया, ताकि पशु-पक्षियों और वन्य जीवों को भी पानी की कमी का सामना न करना पड़े।

कार्यक्रम में श्रीमती पुष्पा देवी, राघवेंद्र कटारे,श्रीमती अनुपमा, श्रीमती अंजली, ज्योति सेंगर, भोली भदौरिया, रेखा गोयल, सारिका गुप्ता, सौम्या तोमर, अनामिका, प्रांसी, प्रियंका, मोनिका सहित नवांकुर संस्था के सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई और कार्यक्रम को सफल बनाया। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए बढ़-चढ़कर सहयोग देने का संकल्प लिया। यह अभियान न केवल जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का भी सशक्त माध्यम बन रहा है।

खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाए

कलेक्टर की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा विभाग की बैठक आयोजित

नवभारत न्यूज

मुरैना, 1 अप्रैल। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ की अध्यक्षता में बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में खाद्य नमूनों की जांच, प्रवर्तन कार्रवाई एवं जुर्माना वसूली की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक कुल 1072 विधिक नमूने लिए गए हैं। इनमें से 723 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिनमें 695 नमूने मानक स्तर के पाए गए, जबकि 28 नमूने अमानक पाए गए हैं। वहीं 349 नमूनों की जांच रिपोर्ट अभी लंबित है। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि सैंपलिंग प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाए तथा लंबित रिपोर्टों को शीघ्र प्राप्त करने हेतु प्रभावी प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमानक नमूनों की संख्या कम होना सकारात्मक संकेत है, किंतु निगरानी में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश कुमार गुप्ता ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों में मिश्रित दूध के 139, पनीर के 65, घी के 125, मावा के 57, अन्य दुग्ध उत्पादों के 35, खाद्य तेल के 83, मसालों के 60 तथा अन्य खाद्य पदार्थों के 521 नमूने लेकर उन्हें भोपाल एवं इंदौर की प्रयोगशालाओं में जांच हेतु भेजा गया है। प्रयोगशालाओं से रिपोर्ट प्राप्त होने में हो रही देरी पर कलेक्टर ने संबंधित विभाग को तत्काल पत्र लिखकर प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में अवगत कराया गया कि एडीएम न्यायालय में 140 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। इन मामलों में कुल 10 लाख 19 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है, बैठक में जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव, अपर कलेक्टर अश्विनी कुमार रावत, समस्त एसडीएम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

आम सूचना

श्री ओपीसर पुत्र श्री रामचित्र के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित उत्तरी भाग, फॉरेस्ट कॉलोनी, ग्राम जौरी, तहसील एवं जिला मुरैना (म.प्र.) है जो नगर पालिका निगम मुरैना वार्ड क्र.05 (तात्याटोपे वार्ड) में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.248 ग्राम जौरी का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :-पूर्व में रास्ता 20 फुट चौड़ा, पश्चिम में-भूमि ऋषिकेश, उत्तर में-भूखण्ड बिट्टीबाई राठौर एवं दक्षिण में भूमि ऋषिकेश है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री रघुवीर दयाल, श्री रिधिकेश पुत्रगण श्री रामचरणलाल के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री ऋषिकेश उर्फ रिधिकेश शर्मा द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती रचना राठौर पत्नी श्री ओमप्रकाश राठौर को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी25792021ए41021 दिनांक 07.06.2021 से विक्रय की गई। श्रीमती रचना राठौर द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री ओपीसर पुत्र श्री रामचित्र को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी27 आईजीआर 17912025ए100170780 दिनांक 25.03.2025 से विक्रय की गई। श्री ओपीसर द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान चोलामण्डलम इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फायनेंस कं. लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हित-निहित होने अथवा किसी प्रकार की आपत्ति होने पर मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार के विरूद्ध प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. भवन क्र.52, कैलाश विहार,फैडरल बैंक के पास,सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो.नं. 98276-72710

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग अंबाह, जिला मुरैना (म.प्र.)

प्र.क्र. 0031/25-26/अ.मा. 1461
अंबाह, दिनांक-26/03/2026

विज्ञप्ति

जरिये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि अपीलान्ट राजेन्द्र सिंह कुशवाह उर्फ गब्बर सिंह पुत्र श्री रामलक्षिन जा. कुशवाह नि. कस्बा अम्बाह मौहल्ला किला वार्ड क्र. 18 तहसील अंबाह बनाम शारदा देवी पुत्री सूरजभान पत्नी रामलक्षिन आदि जा. कुशवाह नि. वार्ड क्रं. 01 अंबाह हाल नि. कोडर किर्रायच तह. पोरसा जिला मुरैना म.प्र. रेस्पो- गण द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभाग अंबाह के प्र.क्र. 0031/25-26/अ.मा. मौजा अंबाह प्रस्तुत किया, जिसमें रेस्पो. क्रं. (2) रामबाई पत्नी नत्थीलाल जा. कुशवाह नि. धर्मगढ़ तह. पोरसा जिला मुरैना (6) किरन पुत्री अशर्फीलाल जा. कुशवाह नि. वार्ड क्र. 18 अंबाह, जिला मुरैना (13) प्रेमवती पुत्री मुन्नालाल जा. कुशवाह नि. अंबाह (14) बसंती देवी पत्नी बेनीराम जा. कुशवाह नि. अंबाह (15) उर्मिला पत्नी रामनरेश जा. नाई नि. वार्ड क्रं. 16 रहीम गली किला अंबाह (16) दाताराम पुत्र आशाराम जा. प्रजापति नि. ककरारी पोस्ट महासुख का पुरा तह. अंबाह (17) कलावती पुत्री वाचाराम नि. अंबाह (18) केदार सिंह पुत्र वाचाराम नि. अंबाह (19) पन्नालाल उर्फ पूरन सिंह पुत्र वाचाराम नि. अंबाह, जि मुरैना म.प्र. को प्रकरण में उपस्थित होने हेतु। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय में प्रचलित प्र.क्र. 0031/25-26/अ.मा. मौजा अंबाह, तहसील अंबाह, परगना अंबाह में नियत पेशी दिनांक-30.04.2026 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग अंबाह में समय दोपहर 02 बजे स्वयं तथा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित हो सकते है। अनुपस्थित होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी। अतः विज्ञप्ति आज दिनांक 26.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की पद मुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी
अंबाह, जिला मुरैना (म.प्र.)

In The High Court of Madhya Pradesh: Bench at Gwalior
NOTICE GENERAL FORM

रिट याचिका परमादेश/निषेध / सर्टिऔरारी अधिकार वारंटो) संख्या WP/28445/2023

कमल सिंह (याचिकाकर्ता)

Vs

मध्य प्रदेश राज्य (प्रतिवादी)

Process Id: 11761/2026

By- Publication
For Admission
Fixed for 10-04-2026
WP-DA8
Respondent No. 11 to 229

To,

11. लाखन सिंह पुत्र दुर्गपाल सिंह **12.** कमल किशोर उर्फ मिंटू पुत्र शीतल सिंह **13.** शैलेन्द्र सिंह पुत्र शीतल सिंह **14.** देवेन्द्र पुत्र शीतल सिंह **15.** जनक सिंह पुत्र पहलवान सिंह **16.** श्री कृष्ण सिंह पुत्र पहलवान सिंह **17.** अशोक सिंह पुत्र होतम सिंह **18.** राकेश सिंह पुत्र होतम सिंह **19.** गोबिंद सिंह पुत्र सुघर सिंह एलआर के माध्यम से **(ए)** श्रीमती किशुना देवी **(बी)** सुरेंद्र सिंह उर्फ पिंकू **(सी)** अमित @ अंशु **(डी)** सुनीता और **(ई)** रानी **20.** रामवीर सिंह पुत्र सुधर सिंह **21.** शंकर सिंह पुत्र सुधर सिंह **22.** नाथू सिंह पुत्र हनुमंत सिंह **23.** विष्णु सिंह पुत्र हनुनंत सिंह **24.** सत्यभान सिंह पुत्र गोपाल सिंह **25.** रघुवीर सिंह पुत्र श्याम सिंह **26.** बद्री सिंह पुत्र श्याम सिंह **27.** ब्रह्मा सिंह पुत्र श्याम सिंह **28.** महेश सिंह पुत्र श्याम सिंह **29.** राम सिंह पुत्र पतिराम सिंह **30.** मोहन सिंह पुत्र पतिराम सिंह (मृत) एलआर के माध्यम से **(ए)** अनिल सिंह **(बी)** सुनील सिंह@ छोटू **31.** रघुनाथ सिंह पुत्र पतिराम सिंह **32.** रामअवतार सिंह पुत्र मेघ सिंह **33.** लक्ष्मी पत्नी मुन्ना सिंह **34.** संदीप सिंह पुत्र मुन्ना सिंह **35.** दिलीप सिंह पुत्र मुन्ना सिंह **36,** नीलेन्द्र सिंह पुत्र मुन्ना सिंह **37.** राहुल सिंह पुत्र मुन्ना सिंह **38.** सुरेश सिंह पुत्र बाबू सिंह **39** मीरादेवी पत्नी अशोक सिंह **40.** रवि सिंह पुत्र अशोक सिंह **41.** शिवम पुत्र अशोक सिंह **42.** विक्रम सिंह पुत्र अशोक सिंह **43.** उमराव सिंह पुत्र उदयभान सिंह **44.** कैलाश सिंह पुत्र मोतीराम सिंह **45.** कलियान सिंह पुत्र मोतीराम सिंह **46.** भूरे सिंह पुत्र मोतीराम सिंह **47.** मुन्ना सिंह पुत्र मोतीराम सिंह **48.** राजकुमारी पत्नी मोतीराम सिंह **49.** कमल सिंह पुत्र लल्लू सिंह **50.** सुल्तान सिंह पुत्र लल्लू सिंह **51.** रामप्रकाश सिंह पुत्र लल्लू सिंह **52.** कुंती पुत्री लल्लू सिंह **53,** पंचवटी पत्नी लल्लू सिंह **54.** लटूरी सिंह पुत्र जगदीश सिंह **55.** मोती सिंह पुत्र सरभन सिंह **56.** धीरज सिंह पुत्र सरमन सिंह **57,** पुतू सिंह पुत्र सरमन सिंह **58.** लाल सिंह पुत्र गोदाबाई **59.** ज्ञान सिंह पुत्र गोदाबाई **70.** सुनीता पुत्री गोदाबाई **61.** विट्टी पुत्री गोदाबाई **62.** ब्रह्माकुमारी पुत्री गोदाबाई **63.** विदा बाई पुत्री गोदाबाई **64.** प्यारे सिंह पुत्र धनपाल सिंह **65.** रामनाथ पुत्र रामस्वरूप सिंह **66.** सामंत सिंह पुत्र रामस्वरूप सिंह **67.** फूलवासा पत्नी रामस्वरुप **68.** श्यामलाल सिंह पुत्र पुत्ते सिंह **69.** बादशाह सिंह पुत्र पुत्ते सिह **70.** उम्मेद सिंह पुत्र पुत्ते सिंह **71.** शम्भू सिंह पुत्र मातादीन सिंह **72.** कलियान सिंह पुत्र मातादीन सिंह **73.** रामेश्वर सिंह कालूराम सिंह **74.** बिजेन्द्र सिंह पुत्र कालूराम सिंह **75.** गार सिंह पुत्र कालूराम सिंह **76.** कमल सिंह पुत्र श्रीपत सिंह **77,** रमेश सिंह पुत्र श्रीपत सिंह **78.** संजय सिंह पुत्र श्रीपत सिंह **79.** भानुप्रताप सिंह पुत्र श्रीपत सिंह **80.** रणधीर सिंह पुत्र श्रीपत सिंह **81.** चन्द्रकुमारी पत्नी श्रीपत सिंह **82.** मलखान सिंह पुत्र भामर सिंह **83.** शांतिदेवी पत्नी लाखन सिंह **84.** धर्मवीर पुत्र केदार सिंह **85.** शिशुपाल सिंह पुत्र स्व. केदार सिंह **86.** नरेश सिंह पुत्र केदार सिंह **87** सुरेंद्र सिंह पुत्र केदार सिंह **88.** रामबहादुर सिंह पुत्र केदार सिंह **89.** विशुना पत्नी केदार सिंह **90** कुसुमा पुत्री केदार सिंह **91.** नीलू पुत्री केदार सिंह **92.** रामराज सिंह पुत्र कुंवर सिंह Lrs के माध्यम से **(ए)** श्रीमती रामवती देवी, **(बी)** बीरेंद्र सिंह **(सी)** सुखलाल सिंह **93.** सुविधा पत्नी सौरम सिंह **94.** सत्यप्रकाश सिंह पुत्र सौरम सिंह **95.** ओमप्रकाश सिंह पुत्र सौरम सिंह, **96.** रघुवीर सिंह पुत्र ज्ञान सिंह, **97.** सिरोमणि सिंह पुत्र ज्ञान सिंह, **98.** मुन्नी पुत्री ज्ञान सिंह, **99.** सोवरन सिंह पुत्र सूजान सिंह **100.** अमर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, **101.** जसवंत सिंह पुत्र अर्जुन सिंह **102.** रंजेश पत्नी रवीन्द्र सिंह **103.** जनविजय सिंह पुत्र रवीन्द्र सिंह **104.** अनुज सिंह पुत्र रवीन्द्र सिंह **105.** पप्पू सिंह पुत्र नाहर सिंह **106.** जानकी पत्नी भरत सिंह **107.** रामरतन सिंह पुत्र भरत सिंह **108.** देवेन्द्र सिंह पुत्र भरत सिंह **109.** सुशीला पुत्री भरत सिंह **110.** सुनीता पुत्री भरत सिंह **111.** गीता पुत्री भरत सिंह **112.** बबली पुत्री भरत सिंह **113.** रामलखन सिंह पुत्र करन सिंह **114.** बसंत सिंह पुत्र करण सिंह **115.** वितान पत्नी करण सिंह **116.** मिथलेश पत्नी अजब सिंह **117.** जीतेन्द्र सिंह पुत्र अजब सिंह **118,** मनीषा पत्नी अजब सिंह **119.** शिवराम सिंह पुत्र बदन सिंह **120.** मातादीन सिंह पुत्र बदन सिंह **121.** चक्रपान सिंह पुत्र बदन सिंह **122.** कृपाराम सिंह पुत्र बदन सिंह **123.** डोंगर सिंह पुत्र बदन सिंह **124.** मुनेश सिंह पुत्र उदयराज सिंह **125** हेतेन्द्र सिंह पुत्र उदयराज सिंह **126,** संजीव सिंह पुत्र उदयराज सिंह **127** कमला पत्नी उदयराज सिंह **128,** ब्रजराज सिंह पुत्र हाकिम सिंह **129** बलबीर सिंह पुत्र हाकिम सिंह **130,** गिरजा पत्नी धरम सिंह **131.** अजय सिंह पुत्र धर्म सिंह **132.** किरण पुत्र धर्म सिंह **133.** सुमन पुत्री धर्म सिंह **134.** रेखा पत्नी कमल सिंह **135.** अतुल सिंह पुत्र कमल सिंह **136.** नीरज सिंह पुत्र कमल सिंह **137.** गंगा सिंह पुत्र कमल सिंह **138.** गौरी पुत्र हजूरी सिंह **139.** हरगोविंद सिंह पुत्र उमराव सिंह **140.** बंती सिंह पुत्र उमराव सिंह **141** बल्लू सिंह पुत्र नत्थू सिंह **142** अवधराज पुत्र मुलु सिंह **143.** सतीश सिंह पुत्र मुलु सिंह **144.** बच्चन सिंह पुत्र मुलु सिंह **145.** मोतीकुआरी पुत्री मुरली सिंह **146.** महेश सिंह पुत्र बाबू सिंह **147.** रामनरेश सिंह पुत्र बाबू सिंह **148.** रकेश सिंह पुत्र बाबू सिंह **149.** बिटान पत्नी नरोत्तम सिंह **150,** राजवीर सिंह पुत्र नरोत्तम सिंह **151.** रणवीर सिंह पुत्र नरोत्तम सिंह **152.** सुरेश सिंह पुत्र नरोत्तम सिंह **153.** सुनीता पुत्री नरोत्तम सिंह **154.** गीता पुत्री नरोत्तम सिंह **155.** संगीत पुत्री नरोत्तम सिंह **156.** भामा पुत्री नरोत्तम सिंह **157.** वीरेन्द्र सिंह पुत्र जय सिंह **158** अरविन्द सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह **159.** पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह **160.** आशा देवी पत्नी राजेंद्र सिंह **161.** बिजेन्द्र सिंह पुत्र जसराम सिंह **162.** मनोज सिंह पुत्र जसरथ सिंह **163.** विनोद सिंह पुत्र जसरथ सिंह **164.** सोनकली पत्नी विजय सिंह **165,** शीतल सिंह पुत्र बलदेव सिंह **रेस. क्रमांक 11 से 165 मूल निवासी रायचंद्र का पुरा मौजा रजोधा तहसील पोरसा जिला - मुरैना, मध्य प्रदेश**

166. दीप सिंह पुत्र कोक सिंह **167.** सामंत सिंह पुत्र कोक सिंह **168.** देवेन्द्र सिंह पुत्र रज्जन सिंह **169.** राघवेन्द्र सिंह पुत्र रज्जन सिंह **170,** मुन्त्री पत्नी रज्जन सिंह **171.** रण सिंह पुत्र रोशन सिंह **172.** पर्वत सिंह पुत्र रोशन सिंह **173.** उमा पुत्री रोशन सिंह **174.** गुड्डी पुत्री रोशन सिंह **175.** देवेन्द्र सिंह पुत्र कलियान सिंह **176.** आनंद सिंह पुत्र कलियान सिंह **177.** श्याम सिंह पुत्र सुलोचन सिंह **178.** शेर सिंह पुत्र सुलोचन सिंह **179.** मुकेश सिंह पुत्र सुलोचन सिंह **180,** राजेश सिंह पुत्र सुलोचन सिंह **181.** धर्मेन्द्र सिंह पुत्र सुलोचन सिंह **182.** सुनीता पुत्री सुलोचन सिंह **183.** रघुराज सिंह पुत्र कलियान सिंह **184.** बलवीर सिंह पुत्र कलियान सिंह **185.** रणवीर सिंह पुत्र कलियान सिंह **186.** रघुनन्दन सिंह पुत्र ज्वाला सिंह **187.** भूरे सिंह पुत्र ज्वाल सिंह **188.** बृजराज सिंह पुत्र अर्जुन सिंह **189.** एलआर के माध्यन से शिवराज सिंह अर्चना पत्नी शिवराज सिंह **190.** ब्रिजेश सिंह पुत्र अर्जुन सिंह **191.** सत्यवती पत्नी सुखपाल सिंह **192.** धर्मेन्द्र सिंह पुत्र सुखपाल सिंह **193** मोहन सिंह पुत्र सुखपाल सिंह **194.** नरेन्द्र सिंह पुत्र सुखपाल सिंह **195.** पूनम पुत्री सुखपाल सिंह **196** वीर सिंह पुत्र विमल सिंह **197** हरवीर सिंह पुत्र विमल सिंह **198** सुरेंद्र सिंह पुत्र छोटे सिंह **199.** सोनकली पत्नी छोटे सिंह **200.** रवीन्द्र सिंह पुत्र जगदीश सिंह **201.** शांति पत्नी जगदीश सिंह **202.** रामौतार सिंह पुत्र जसरथ सिंह **203.** रामवीर सिंह पुत्र जसरथ सिंह **204.** रमेश सिंह पुत्र जसरथ सिंह **205.** रामसनेही सिंह पुत्र सुघर सिंह **206.** भगवान सिंह पुत्र सुघर सिंह **207.** राजेंद्र सिंह पुत्र साहब सिंह **208.** जय सिंह पुत्र नारायण सिंह **209.** सुरेश सिंह पुत्र नारायण सिंह **रेस. क्रमांक 166 से 209 निवासी- निवाजी का पुरा, मौजा रजोधा, तहसील पोरसा, जिला मुरैना।**

210. राजेंद्र सिंह पुत्र उदय सिंह **211.** गुलाब सिंह पुत्र उदय सिंह **212.** कलावती पुत्री अजन सिंह **213.** राजेंद्र सिंह पुत्र निरपाल सिंह **214.** बीरेन्द्र सिंह पुत्र निरपाल **215.** रामवीर सिंह पुत्र निरपाल सिंह **216.** जवार सिंह पुत्र निरपाल सिंह **217.** बलबीर सिंह पुत्र निरपाल सिंह **218.** संदीप सिंह पुत्र निरपाल सिंह **219.** कुलदीप सिंह पुत्र हरि सिंह **220.** नरेन्द्र सिंह पुत्र हरि सिंह **221.** दुर्गा सिंह पुत्र हरिश्चन्द्र सिंह **222.** केशव सिंह पुत्र रामकिशन सिंह **रेस, क्रमांक 210 से 222 सभी निवासी भजन का पुरा, मौजा रजोधा, तह. पोरसा, जिला मुरैना (म.प्र.) 223.** लीलावती पुत्री रामकिशन **224.** हाकिम सिंह पुत्र रामकिशन सिंह **225.** मुरारी पुत्र रामकिशन **226.** भरत पुत्र रामकिशन **227.** रामस्वरूप पुत्र रामकिशन **228.** आनन्द पुत्र रामकिशन **229.** अतिका पत्नी रामगोपाल **रेस. क्रमांक 223 से 229 सभी निवासी खडग पुरा मौजा रजोधा तहसील पोरसा जिला - मुरैना, (म.प्र.)**

जबकि उपरोक्त मामले में याचिकाकर्ता द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत परमादेश / निषेध / सटिऔरारी/ को वरंटो रिट के लिए याचिका दायर की गई है।

कृपया ध्यान दें कि आपको **10-04-2026** को या उससे पहले व्यक्तिगत रूप से या विधिवत नियुक्त अधिवक्ता के माध्यम से रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। यदि उपर्युक्त तरीके से रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है, तो याचिका पर एक तरफा सुनवाई और निर्णय लिया जाएगा।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर बेंच के हस्ताक्षर और मुहर के तहत दिनांक- 10-03-2026 को दिया गय।

BY ORDER OF THE HIGHT COURT
Senior Judicial Assistant